

आदेश

जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम -1950 (उ०प्र०) अधिनियम संख्या-1 वर्ष-1951 की धारा -117 की उपधारा (6) एवं शासकीय अधिसूचना संख्या-258/रा०-1-16(1)-73 दिनांक 5.3.1974 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, डा० चरनजीत सिंह बख्शी, जिलाधिकारी कौशाम्बी (उ०प्र०) संलग्न सूची में उल्लिखित उस भूमि को जो अब तक शासनादेश संख्या-617-14 दिनांक 11.10.1952 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित गांव सभा में निहित थी, को पुनर्ग्रहीत कर अपने अधिकार में लेता हूँ और गिन्ना अनुसूची के अनुसार आवंटित करता हूँ।

क्र. संख्या	जिला	तहसील	परगना	गांव	गांव/गा. स्थानीय प्राधिकार	गा. संख्या/क्षेत्रफल	विवरण जिसके लिये पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कौशाम्बी	मंझनपुर	अथरवन	टेवा	टेवा	966मि०/2.372 हे० 967/0.057 हे० 968मि०/0.034 हे० 964मि०/0.103 हे० 965 /0.034 हे० 1024 /0.080 हे० 1025 /0.023 हे० 1026/0.068 हे० 1027/0.023 हे० 1028मि० /0.068 हे० 1029/0.068 हे० 1031 मि० /0.297 हे० 1038 मि०/0.040 हे० 1039 /0.057 हे० 1040मि०/0.023 हे० 1050 मि०/0.035 हे० 1051 मि०/0.831 हे० 1052 /0.046 हे० 1024/0.011 हे० ----- 1744	महामाया आई 0 टी० पालीटेविनक हेतु।

(डा० चरनजीत सिंह बख्शी)
जिलाधिकारी, कौशाम्बी।

कार्यालय जिलाधिकारी, कौशाम्बी।

पत्र संख्या/384/लेख-सात-कौशा०
प्रतिलिपि-

दिनांक 7 जनवरी 2009

- 1- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।
- 2- तहसीलदार मंझनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(डा० चरनजीत सिंह बख्शी)
जिलाधिकारी, कौशाम्बी।